

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.) .

क्रमांक : 28

दिनांक : 26.5.25

:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं नगेन्द्र सिंह, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा निम्नवत् आदेश पारित करता हूँ कि माह जून, 2025 के निम्नांकित राजकीय अवकाशों में भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, प्रोटोकॉल, मृत्यु समीक्षा, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य) को निम्नानुसार अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा निष्पादित किया जावेगें :-

क्र. सं.	दिनांक	नाम अधिकारी	क्षेत्राधिकारिता	पुलिस आरक्षी केन्द्र
01.	01.06.2025	प्रथम, द्वितीय व तृतीय जोन श्री विशेष नागरवाल अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 01, भीलवाड़ा मो.न. 82909-81697	भीलवाड़ा जिला न्याय क्षेत्र में स्थित समस्त न्यायालय	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त पुलिस थाने
02.	07.06.2025 व 08.06.2025	प्रथम, द्वितीय व तृतीय जोन सुश्री तन्वी माथुर एन.आई. एक्ट संख्या-01 भीलवाड़ा मो.न. 96722-61842	भीलवाड़ा जिला न्याय क्षेत्र में स्थित समस्त न्यायालय	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त पुलिस थाने
03.	14.06.2025 व 15.06.2025	प्रथम व आंशिक द्वितीय जोन श्री सुभाष चन्द्र कोठिया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, भीलवाड़ा मो.न. 85609-57778	1. सी.जे.एम. 2. ए.सी.जे.एम. 1 व 2, रायपुर, गंगापुर 3. जे.एम. पूर्व/पश्चिम 4. जे.एम. 1/2/3, गंगापुर 5. एन.आई.संख्या 1/2/3/4/5 6. ग्राम न्यायालय, सुवाणा 7. ए.सी.जे.एम. मांडल 8. जे.एम. आसीन्द/मांडल 9. ग्राम न्यायालय, मांडल	प्रतापनगर, पुर, साइबर, कोतवाली, भीमगंज, सुभाषनगर, सदर, हमीरगढ़, मंगरोप, बनेड़ा, महिला थाना, यातायात थाना, आबकारी विभाग/आबकारी वृत्त, भीलवाड़ा, गंगापुर, कारोई, रायपुर, शम्भुगढ़, रायला, आसीन्द, बदनौर, फूलियाकलां, आबकारी वृत्त शाहपुरा, मांडल, करेड़ा, बागौर, आबकारी वृत्त मांडल
04.	14.06.2025 व 15.06.2025	आंशिक द्वितीय व पूर्ण तृतीय जोन श्री कनिष्ठा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर, भीलवाड़ा मो.न. 98877-03945	1. ए.सी.जे.एम. मांडलगढ़/जहाजपुर/ गुलाबपुरा/शाहपुरा 2. जे.एम. मांडलगढ़/बिजौलिया/ कोटड़ी/जहाजपुर/ शाहपुरा	गुलाबपुरा/शाहपुरा/मांडल गढ़, काछोला, बिगोद, बड़लियास, आबकारी वृत्त मांडलगढ़, बिजौलिया, कोटड़ी, पारोली, जहाजपुर, हनुमाननगर, पंडेर, शक्करगढ़, आबकारी वृत्त जहाजपुर

05.	22.06.2025	प्रथम, द्वितीय व तृतीय जोन श्री राजीव चौधरी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर भीलवाड़ा मो.न. 96104-48989	भीलवाड़ा जिला न्याय क्षेत्र में स्थित समस्त न्यायालय	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त पुलिस थाने
06.	28.06.2025 व 29.06.2025	प्रथम जोन सुश्री दिप्ती स्वामी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर भीलवाड़ा मो.न. 94606 -71308	1. सी.जे.एम. 2. ए.सी.जे.एम. 1 व 2, रायपुर, गंगापुर 3. जे.एम. पूर्व/पश्चिम 4. जे.एम. 1/2/3, गंगापुर 5. एन.आई.संख्या 1/2/3/4/5 6. ग्राम न्यायालय, सुवाणा	प्रतापनगर, पुर, साइबर, कोतवाली, भीमगंज, सुभाषनगर, सदर, हमीरगढ़, मंगरोप, बनेड़ा, महिला थाना, यातायात थाना, आबकारी विभाग/आबकारी वृत्त, भीलवाड़ा, गंगापुर, कारोई, रायपुर
	28.06.2025 व 29.06.2025	द्वितीय व तृतीय जोन सुश्री सीमा चौहान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा मो.न. 81075-04908	1. ए.सी.जे.एम. गुलाबपुरा/शाहपुरा/ मांडल 2. जे.एम. आसीन्द/शाहपुरा/ मांडल 3. ग्राम न्यायालय, मांडल 4. ए.सी.जे.एम. मांडलगढ़/जहाजपुर 5. जे.एम. मांडलगढ़/बिजौलिया/ कोटड़ी/जहाजपुर	गुलाबपुरा, शम्भुगढ़, रायला, आसीन्द, बदनौर, शाहपुरा, फूलियाकलां, आबकारी वृत्त शाहपुरा, मांडल, करेड़ा, बागौर, आबकारी वृत्त मांडल, मांडलगढ़, काछोला, बिगोद, बड़लियास, आबकारी वृत्त मांडलगढ़, बिजौलिया, कोटड़ी, पारोली, जहाजपुर, हनुमाननगर, पंडेर, शक्करगढ़, आबकारी वृत्त जहाजपुर

निर्देश :-

- यह कि अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 10 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा।
- अधिकृत किये गये न्यायिक अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही न्यायिक अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिये नियत किये गये थे।
- नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत न्यायिक अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा (झा.)

दिनांक : 26.5.25

क्रमांक : 1232

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा।
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र।
3. उपरोक्त समस्त न्यायालय
4. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय भीलवाड़ा।
5. अक्षयक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, भीलवाड़ा।
6. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, भीलवाड़ा।
7. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, भीलवाड़ा।
8. जिला कारागृह, भीलवाड़ा।
9. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, भीलवाड़ा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करें तथा जिला न्यायालय, भीलवाड़ा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
10. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(नृजन न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा।)

